न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 241 / 2023 / सरफैसी

इंडियन बैंक मुख्य शाखा 5, अभय निवास, रेजिडेन्सी रोड सरदारपुरा, भूपालपुरा उदयपुर राजस्थान

............प्रार्थी

बनाम

मैसर्स पदमावती शिक्षण संस्थान
(अ) 21–जी, सर्व ऋतु विलास, मोगरावाडी के पास, उदयपुर
(ब) 29, न्यू स्वामी नगर, टेकरी, मादडी– सबसिटी सेन्टर, 100 फीट लिंक रोड, हार्मोनी रेस्टोरेन्ट के पास, उदयपुर, राजस्थान।

1. लोकेश जैन पुत्र श्री भूरालाल जैन निवासी–21–जी, सर्व ऋतु विलास, मोगरावाडी के पास, उदयपुर
2. शर्मिला जैन पत्नी श्री लोकेश जैन निवासी–21–जी, सर्व ऋतु विलास, मोगरावाडी के पास, उदयपुर
3. विदुशी जैन पुत्री श्री लोकेश जैन निवासी–21–जी, सर्व ऋतु विलास, मोगरावाडी के पास, उदयपुर
4. पुत्र श्री भूरालाल जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन निवासी–21–जी, सर्व ऋतु विलास, मोगरावाडी के पास, उदयपुर

............ऋणी / अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002</u>

उपस्थितः श्री विजय सालवी अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 06/11/2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि 933.00 लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद **(*मैसर्स पदमावती शिक्षण संस्थान के तहत् स्कूल के उपकरण, फिक्स्चर और अचल सम्पत्तियों का दृष्टिबंधक।**

***शर्मिला जैन पत्नी श्री लोकेश जैन के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट न. 01, खसरा न. 509 से 513, राजस्व ग्राम तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 22385 वर्ग फीट है। सीमाए– पूर्व में रोड 60 फीट, पश्चिम में खसरा न. 514, 531 एवं द एरीना स्कॉलर स्कूल, उत्तर में गार्डन एवं खसरा न. 508 दक्षिण में रोड एवं खसरा न. 531 एवं 542,**

जिला कलक्टर
उदयपुर

* शर्मिला जैन पत्नी श्री लोकेश जैन के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट न. 01, खसरा न. 519, 3371/518, जो राजस्व ग्राम तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 5533 वर्ग फीट है। सीमाए– पूर्व में भूमि खसरा न. 518 एमआई, रोड 30 फीट चौडी, पश्चिम में भूमि खसरा न. 520, उत्तर में भूमि खसरा न. 5594 एवं 3371/1518 का भाग दक्षिण में रोड 30 फीट चौडी।

* शर्मिला जैन पत्नी श्री लोकेश जैन के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट न. 01, खसरा न. 522 एमआई, 523, 524 जो राजस्व ग्राम तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 17280.50 वर्ग फीट है। सीमाए– पूर्व में भूमि खसरा न. 525 एंव 518, पश्चिम में भूमि खसरा न. 530 एवं प्रोप. रोड 30 फीट चौडी, उत्तर में भूमि खसरा न. 526 एवं एक्स मकान, दक्षिण में भूमि खसरा न. 520 एवं 521) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 15.06.2023 तक 08,63,61,246/– रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 933.00 लाख रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 15.06.2023 तक 08,63,61,246/– रूपये वसूल किये जाने हैं। ''दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002'' की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद **(*मैसर्स पदमावती शिक्षण संस्थान के तहत् स्कूल के उपकरण, फिक्स्चर और अचल सम्पत्तियों का दृष्टिबंधक। *शर्मिला जैन पत्नी श्री लोकेश जैन के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट न. 01, खसरा न. 509 से 513, राजस्व ग्राम तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 22385 वर्ग फीट है। सीमाए– पूर्व में रोड 60 फीट, पश्चिम में खसरा न. 514, 531 एवं द एरीना स्कॉलर स्कूल, उत्तर में गार्डन एवं खसरा न. 508 दक्षिण में रोड एवं खसरा न. 531 एवं 542, *शर्मिला जैन पत्नी श्री लोकेश जैन के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट न. 01, खसरा न. 519, 3371/518, जो राजस्व ग्राम तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 5533 वर्ग फीट है। सीमाए– पूर्व में भूमि खसरा न. 518 एमआई, रोड 30 फीट चौडी, पश्चिम में भूमि खसरा न. 520, उत्तर में भूमि खसरा न. 5594 एवं 3371/1518 का भाग दक्षिण में रोड 30 फीट चौडी। *शर्मिला जैन पत्नी श्री लोकेश**

जिला कलक्टर
उदयपुर

जैन के नाम साम्यिक **बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट** न. **01**, **खसरा** न. **522 एमआई**, **523**, **524 जो राजस्व ग्राम तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर राजस्थान** पर **स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 17280.50 वर्ग फीट है। सीमाए– पूर्व में भूमि खसरा** न. **525 एंव 518, पश्चिम में भूमि खसरा न. 530 एवं प्रोप. रोड 30 फीट चौडी, उत्तर में भूमि खसरा न. 526 एवं एक्स मकान, दक्षिण में भूमि खसरा न. 520 एवं 521)** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावें कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर